RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.042

लिंगदोह समिति एवं छात्र संघ चुनाव

यशवंत वरकरे

शोधार्थी इतिहास विभाग डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 September 2020

Keywords
छात्र संघ, विश्वविद्यालय, राजनैतिक पार्टी, छात्र राजनीति, सर्वोच्च न्यायालय.

***Corresponding Author**
Email: yashwantwarkare007@gmail.com

ABSTRACT

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर, 2005 को केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली केरल विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह देश के छात्र संघ चुनावों के बारे में दिशा निर्देश देने के लिए पूर्व न्यायाधीश या पूर्व चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। आदेश अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय ने न्यायालय के निर्देशानुसार भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। जिनकी प्रमुख सिफारिशें निम्नप्रकार से हैं–

- उम्मीदवार की उपस्थिति न्यूनतम 75 फीसदी हो। न्यूनतम अंक प्रतिशत भी तय हो तथा वह नियमित विद्यार्थी हो।
- प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं हो।
- प्रत्याशी का चुनाव खर्च 5 हजार से ज्यादा नहीं हो।
- परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर उम्मीदवार खर्च के ब्योरे की अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन को सौंपेगा।

लिंगदोह कमेटी के सिफारशिों के बाद भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की नई रूप रेखा तैयार की गई जिस का छात्रों द्वारा समर्थन व विरोध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2007 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही छात्र संघ चुनाव प्रारंभ हुये।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अब तक शैक्षिक परिसर में चुनाव चिंता का विषय है इसलिए छात्रों को चुनावी प्रक्रिया सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है चाहे वह प्राथमिक माध्यमिक या उच्च शिक्षा का छात्र हो जिससे उनमें लोकतंत्र और नेतृत्व की भावना उभरे।

भारत में राजनीतिक स्वच्छता तभी आएगी जब इसकी शुरूआत छात्र संघ चुनाव से हो। इसके लिये जरूरी है।छात्र संघ चुनाव सुविधाओं के मुद्दों पर लड़े जाएं। पूरे देश के छात्र संघ चुनाव कराने के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया हैं। केरल के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिये थे कि देश भर की शिक्षण संस्थाओं में छात्रसंघ चुनावों के बारे में दिशा निर्देश तय करने बावत् अपनी राय दें।

छात्र संघ चुनावों से देश का युवा नेता बनने का ख्वाब देखता है तो कोई छात्रों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है। विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्रों के लिए सारी जरूरी सुविधा मुहैया करवाने का काम भी छात्र नेता का ही होता है। भारत में जिस उद्देश्य के साथ छात्र राजनीति को शुरू किया गया था कि सभी लोकतंत्र को समझ सके पर छात्र संघ चुनावों में गुंडागर्दी और छात्रों को पैसे लालच देकर उनका वोट देने की कोशिश होने लगी। राजनैतिक पार्टी भी अपना जन समर्थन बनाने के लिए छात्र चुनावों में पानी की तरह पैसा बहा रही है, जिससे छात्र संघ चुनावों में भ्रष्टाचार होता नजर आ रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा ही करप्शन कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि छात्र संघ चुनावों को नियंत्रित किया जाए। छात्र राजनीति भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य तत्व है। आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने छात्र राजनीति को काफी अहमियत दी थी।

महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह, 1931 में सविनय अवज्ञा और 1942 में जब अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात की

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तो उनके पास विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक राजनीतिक संदेश था। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षा केन्द्र विद्यार्थी आंदोलन की उपज थे। गाँधी के अनुयायियों ने आजाद भारत में विद्यार्थी आंदोलनों पर भरोसा किया, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इसकी मिसाल है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने और इसके खिलाफ वातावरण बनाने में भी आंदोलनों का हाथ था।[1]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर, 2005 को केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली केरल विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल याचिका सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया वह देश में छात्र संघ चुनावों के बारे में दिशा–निर्देश देने के लिए पूर्व न्यायाधीश व पूर्व चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। आदेश अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय ने न्यायालय के निर्देशानुसार भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। जिनमें प्रमुख सदस्य :–

श्री जे. एम लिंगदोह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष

श्री दयानंद डोगांवकर, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, संयोजक

प्रो. जोया हसन, प्रोफेसर, राजनीतिक अध्ययन केन्द्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सदस्य

डॉ. प्रताप भानु मेहता, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी नीति अनुसंधान केन्द्र, सदस्य

प्रो. वेद प्रकाश, निर्देशक, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, योजना और प्रबंधन(NIEPA) सदस्य

श्री आई पी. सिंह सेवानिवृत्त उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सदस्य।[2]

सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगदोह रिपोर्ट को स्वीकारा लिंगदोह समिति ने छात्र संघ के चुनावों में सुधार लाने के संबंध में व्यापक विचार–विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगदोहसमिति में संस्तुतियों को पूर्णतः स्वीकार किया और कहा कि देश के सभी छात्र संघों के चुनावों में समिति द्वारा निर्दिष्ट गाईडलाईन का पालन किया जाए और समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार ही छात्र संघों के चुनाव कराये जायें। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत समिति की सिफारिशों को बाध्यकारी करार दिया और कहा कि इसकी अवहेलना न्यायालय की अवहेलना मानी जायेगी।[3] कमेटी ने मई 2006 में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौप दी।

छात्र संघ चुनाव के बारे में लिंगदोह कमेटी की प्रमुख सिफारिशें :–

- उम्मीदवार की उपस्थिति न्यूनतम 75 फीसदी हो, न्यूनतम अंक प्रतिशत भी तय हो तथा वह नियमित विद्यार्थी हो।
- प्रत्याशी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं हो।
- प्रत्याशी का चुनाव खर्च 5 हजार से ज्यादा नहीं हो।
- परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर उम्मीदवार खर्च के ब्योरे की अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन को सौंपेगा।
- प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो धर्म, जाति, समुदाय, भाषाई आधारित समूहों या अन्य समूहों की बीच वैमनस्थता और तनाव बढ़ाने वाला हो। जाति और समुदाय के आधार पर वोट की अपील नहीं की जाएगी।
- उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी के निजी जीवन से संबंधितपहलुओं पर आलोचना नहीं करें। उसकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है।
- उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत या कोई अन्य प्रलोभन, धमकी नहीं देगा। किसी भी तरह का भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा।
- छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रिंटेड प्रचार सामग्री काम नहीं ली जाएगी।
- विश्वविद्यालय/कॉलेज की और से चिन्हित स्थानों पर सिर्फ हस्त निर्मित प्रचार सामग्री ही लगाई जा सकेगी।
- विश्वविद्यालय/कॉलेज केम्पस के बाहर कोई प्रचार गतिविधि जैसे जूलूस, मीटिंग नहीं किए जा सकेंगे।
- कोई भी प्रत्याशी किसी भी उद्देश्य से विवि/कॉलेज की किसी भी सम्पति को विरूपित नहीं करेगा।
- चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले छात्र व प्रत्याशी को चुनाव से वंचित किया जा सकता है।
- केम्पस में पोस्टर या होर्डिंग व वाहनों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
- चुनाव संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए हर विवि/कॉलेज में एक ग्रिवेनस कमेटी बनाई जाएगी, जो आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की सुनवाई कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगी।[4]

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार शर्मा का कहना था कि चुनाव लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है। पूर्व में वामपंथी संगठनों ने गलती की जिसके कारण छात्र संघ चुनाव जेएनयू में नहीं हुआ था। जहां तक जेएनयूएसयू के संविधान

RRIJM 2015, All Rights Reserved

और लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार चुनाव की बात है तो यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।[5]

लखनऊ में तोड़–फोड सड़कों पर संघर्ष लाठी चार्ज छात्र संघ चुनाव संबंधी लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लेकर 7 दिसम्बर, 2006 को लखनऊ में छात्र भडक उठे। विश्वविद्यालय परिसर में बंद कराकर उन्होनें हंगामा किया, गेट तोड़ डाले और उपकुलपति का पुतला जलाया। राजभवन के लिए कूच करते समय उग्र छात्रों ने हजरतगंज में उत्पात किया, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लखनऊ के शिया कॉलेज में छत्रों ने सड़क जाम कर पथराव किया। विधान, के.के.सी व कालीचरण कॉलेज में भी प्रदर्शन करने के साथ जगह–जगह तोड़–फोड की गयी। पुलिस ने विश्वविद्यालय छात्र महामत्री सहित पाँच छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लाठी चार्ज के कारण कई छात्रों को चोटें भी आयी।[6]

जेएनयू में छात्र संगठनों ने लिंगदोह समिति की सिफारिश को नकारा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ राष्ट्र विरोधी गतिविधि को लेकर लगातार विवादों में रहने के बाद अब चुनाव को लेकर चर्चा में थी। वामपंथी छात्र संगठन जेएनयू छात्र संघ के संविधान के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराने पर जोर दे रहे है, जबकि गत वर्षो में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू कर चुनाव हुए है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष सुचेता डे का कहना है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह समिति की सिफारिश की थी उस केस के आधार को नए निर्णय में रद् कर दिया है ऐसे में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराने का कोई आधार नहीं है।

राजत्रांतिक दलों द्वारा सभी विश्वविद्यालय में अपने छात्र दलों को सक्रिय कर रखा है एक तरह से इन्होंने अपने छात्र संगठन बनाये हुये है, जिसकी लगाम राजनैतिक दलों के पास होती है तथा आम चुनावों में यहीं छात्र "मनुष्य बल" का काम करती है।

विश्वविद्यालय व शिक्षा परिसरों में आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र प्रवेश कर गये है छात्रावासों से पुलिस की रेड पड़ना आम बात हो गयी है जहाँ छात्रावासों से बन्दुकें, नशीले पदार्थ, और अपराधी पकड़े जाते है मानो छात्रावास आपराधियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है छात्र संघ चुनाव में आयु सीमा निर्धारित न होने के कारण 40–45 वर्ष के अधेड भी पदाधिकारी बनने के लिए किसी न किसी डिप्लोमा कोर्स में नाम लिखाकर छात्र बने रहते है।

शिक्षण संस्थानों की गरिमा कम होने की वजह काफी हद तक जिम्मेदार छात्र राजनीति करने वाला वर्ग है। जिसका परिणाम आम छात्रों के द्वारा छात्र संघ के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए एक भयावह संकेत है।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर प्रतिक्रियाएं

देश की शीर्ष पत्रिका "TheTribute" के 14 अक्टूबर, 2006 के अंक में लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया दी।

केम्पस चुनाव पार्टी का समय समाप्त हो गया है। छात्र राजनीति का चेहरा कभी ऐसा नहीं देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई है। अब केम्पस चुनावों में धन और बाहुबल को रोकने में सहायता मिलेगी तथा अधिक पारदर्शिता जवाबदेही और अनुशासन भी सुनिश्चित किया जाएगा।[7]

Hindustantime के 16 दिसम्बर, 2006 के अंक में लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया दी। लिंगदोह पेनल की रिपोर्ट का पालन करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनावों के संबंध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने का निर्देश जारी किया।[8]

निष्कर्ष :–

वर्तमान में विश्वविद्यालयों में आयोजित छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह कमेटी के सिफारिशों के तहत चुनाव होते हैं। पर वर्तमान में सभी छात्र संगठन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में बदलाव चाहते है। विशेषकर 'प्रत्याशी का चुनाव खर्च 5 हजार से ज्यादा नहीं हो' को लेकर। चुनाव आयोग व विश्वविद्यालय प्रशासन इससे अवगत है कि आज की विश्वविद्यालय चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीली हो गई है और 5 हजार की राशि बहुत कम है। आमतौर पर विश्वविद्यालयों के चुनावों में छात्र संघ लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रत्याशी का चुनाव खर्च की राशि उचित राशि तब बढ़ाया जाए।

छात्र संघ चुनाव उन सभी बुराईयो से ग्रस्त हो चुके है जो आज आम चुनाव की राजनीति में दिखाई पड़ता है।

छात्र संघ चुनावों में जातिवाद, बाहुबल और धनबल प्रदर्शित होने लगा है। पहले यह लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दिखाता था चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अनोखे तरीके अपना रहे है और इन तरीको के बीच खुलेआम लिंगदोह की सिफारिशों का उल्लघंन हो रहा है कोई पटाखों की लड़ियों के शोर के बीच वोट मांग रहा है तो कोई हमर लम्बोर्गिनी जैसी लक्जरी कारों को शोकेस कर छात्रों को आर्कषित कर रहा है। कही नारेबाजी का दौर है तो कहीं चलती कारों से पर्चा उड़ाते कार्यकर्ता केम्पस में प्रचार कर रहे है तो लगता है कि आम चुनाव हो रहा है राजनीतिक दल भी छात्र संघ चुनावों को

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अपने अनुकूल करने के लिए काफी धन व्यय करती है जिसका परिणाम चुनावों में पुलिस की भारी बंदोबस्त की आवश्यकता होती है क्योंकि छात्र चुनावों में स्थिति कभी भी अस्थिर हो सकती है।

छात्र राजनीति से युवाओं का राजनीतिक सामाजिकीकरण तेजी से होता है, कोई छात्र चाहे या न चाहे, उसे छात्र राजनीति में शामिल होना ही पड़ता है वह इससे बच नहीं सकता है। भारतीय राजनीति में वह तबका अभी तक हाशिये पर है जो विश्वविद्यालय परिसरों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया है। जातिवाद और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से ग्रस्त परिसरों में ग्रामीण छात्रों को एक परायापन का अनुभव होता है।

सीमांत समूहों के छात्रों के साथ भाषा, जाति, पहनावे, उच्चारण के आधार पर भेदभाव होता है। इससे अध्यापक और सीनियर छात्र शामिल हो सकते हैं, रैगिंग खत्म कर दी गई है लेकिन भेदभाव के कई–कई स्तर परिसरों में कायम रहते हैं, छात्र राजनीति के माध्यम से छात्र इससे पार होने की एक जुगत भी खोजते हैं, छात्र राजनीति उनके अंदर के भय को निकाल देती है यह उनके व्यक्तित्व को सक्षम बनाती है।

देश के जिन विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गों के छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मुखर हो रहे हैं।[9]

लिंगदोह कमेटी के सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के लिए प्रभावी दिशा–निर्देश जारी किये, जिससे सभी संस्थानों को लिंगदोह कमेटी के नियम मानना बाध्यकारी हो गया है। लिंगदोह रिपोर्ट में अधिकांश नियम उचित है और कुछ पर पुनर्विचार होना चाहिए।

छात्र संघ चुनाव के विरोध में सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आरोप लगाए जाते है कि इसमें धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है, जिससे पढ़ाई का माहौल खराब होता है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे है। तो वहाँ के परिसर हिंसामुक्त हो गए है और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जहां प्रतिवर्ष चुनाव होते है, तो क्या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव में सुधार को लेकर लिंगदोह समिति का गठन किया था। जिसकी सिफारिशें छात्र संघ चुनाव के लिए अनिवार्य हो गई है। इस समिति के मुताबिक एक प्रत्याशी केवल पाँच हजार रुपये ही खर्च कर सकता है, वह दुबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, छात्र की आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए, यदि शोध छात्र हो तो 28 वर्ष तक, प्रिटिंग पोस्टर पर रोक लगे इत्यादि।

एक तरह से लिंगदोह समिति की सिफारिशें अव्यावहारिक नजर आती है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक सघन कैम्पस है जिससे वहां पांच हजार रुपये में प्रचार हो सकता है लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसके छात्र संघ से संबंधित 51 कॉलेज दिल्ली में स्थित है तो वहां पांच हजार रुपये में छात्र संघों का चुनाव प्रचार करना मुमकिन नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जहाँ पूरे चुनाव का प्रबंधन छात्रों के हाथों में होता है और जिसे आदर्श छात्र संघ माना जाता है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के चलते छात्र संघ चुनाव स्थगित थे। जेएनयू एक शोध संस्थान है। पर 28 वर्ष की आयु सीमा का एक तरह की बाधा है, जिससे छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

लिंगदोह रिपोर्ट अधिकांशतः उचित है। मात्र इस प्रश्न पर पुनर्विचार होना चाहिए कि छात्र संघों का गठन 'प्रत्यक्ष चुनाव' के आधार पर हो, जिसमें सभी छात्र भाग ले सकें। अनुशासन के नाम पर कुलपतियों व प्राचार्यों को इतना अधिकार सम्पन्न न कर दिया जाए कि वे जब जिसको चाहे छात्र संघ के चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दें। एक प्रश्न का शंका–समाधान होना बाकी रह जाता है कि ''लिंगदोह समिति ने छात्र संघ चुनावों में उम्मीदवारी के लिए जिन कृत्यों को अयोग्यता का मापदण्ड बताया है, वे संसद और विधान सभाओं के चुनावों के लिए क्यों नहीं लागू हो सकते।''[10]

संदर्भ सूची

1. नवभारत टाइम्स, छात्र संघ चुनाव जरूरी या नहीं?, 8 अगस्त 2013
2. Ministry of Human Resource Development, Department Of Secondary And Higher Education, Report Of The Committee, May 23, 2006 page no 07
3. पाण्डेय श्यामकृष्ण, भारतीय छात्र आन्दोलन का इतिहास भाग 2, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 2008, पृ. 1032
4. Ministry of Human Resource Development Department Of Secondary And Higher Education, Report of the committee, may 23, 2006 page no 40-45

RRIJM 2015, All Rights Reserved

5. पाण्डेय श्यामकृष्ण, पूर्वोक्त, पृ. 1034
6. The tribune, Magazine section saturday extra, 14 oct 2006
7. Hindustan time, e-news paper, 16 oct 2006, page 1
8. प्रसाद ईश्वरी, छात्र आन्दोलन का वैचारिक आधार, समाजवादी विचारमाला प्रकाशक, पृ 24
9. http://m/thewirehindi.com/article/allahabad-university-student-union-election/21494
10. पाण्डेय श्यामकृष्ण, पूर्वोक्त,पृ. 1039

RRIJM 2015, All Rights Reserved